


08.08.2023:—यह पत्रावली आज वादी अधिवक्ता श्री विपिन स्वामी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली को पेशी लिया गया। अधिवक्ता श्री विपिन स्वामी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादीगण का उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में राजीनाम हो चुका है। इसी कारण वादी वादपत्र में आगामी कोई कार्यवाही नहीं चाहता। पत्रावली इसी स्तर पर विद्वा किया जावे। वादी अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना-पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी के फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाये गया। वादी की पहचान वादी अधिवक्ता श्री विपिन स्वामी द्वारा किये जाने पर उक्त वादपत्र वादी मौजूदा सूरत में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हों



सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़